International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly
ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.9 Issue. 3 Jan-Feb-2022

भारत में महिला सशक्तिकरण की भूमिका

डॉ. रमेश प्रसाद कोल
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग,
शासकीय आर.व्ही.पी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला उमरिया म०प्र०. भारत, ४८४६६१
Email id- dr.rameshprasadkol@gmail.com

सारांश

महिला सशक्तीकरण से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तीकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। महिला सशक्तीकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारिरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।

प्रस्तावना

आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। हमारे विभिन्न ग्रंथों में नारी के महत्त्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:— अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते है। लेकिन विडम्बना तो देखिए नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है, इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा कर सकती हैं। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्त्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरुकता लाने के लिये मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को कई क्षेत्र में विकास की जरुरत है। भारत में, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी

राक्षसी सोच को मारना जरुरी है, जैसे दृ दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, वैश्यावृति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। जहाँ महिलाएँ अपने परिवार के साथ ही बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित है। भारत में अनपढ़ो की संख्या में महिलाएँ सबसे अव्वल है। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आयेगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले कर सकें।

मूल शब्द—महिला, सशक्तिकरण

भारत में महिला सशक्तिकरण

सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें नारी अपने जीवन पर द्वारा नियंत्रण करती है, अर्थात् सशक्तिकरण बदलाव को सुगम बनाता है। सशक्तिकरण एक ऐसी अनुभूति है, जो किसी भी महिला को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये मानसिक रूप से सक्रिय बनाता है। संस्थागत परिपेक्ष्य में सशक्तिकरण वातावरण के साथ तालमेल करते हुये वैसी परिस्थितियों का निर्माण करता है। जहां महिलाएं अपने सार्मथ्य एवं योग्यता के आधार पर अपने सपने को साकार कर सकती हैं। नारी का मानव की दृष्टि में ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। महिलाओं द्वारा राष्ट्र विकास की धारा में सक्रिय भूमिका निभाई जाने से ही राष्ट्र का सर्वांगीण विकास समय है। इस संबंध में पण्डित, नेहरू का कथन है कि. यदि जनता में जागृति पैदा करना है तो पहले महिलाओं को जागृत करो दे आगे बढ़ती है तो परिवार आगे बढ़ता है. गाँव शहर आगे बढ़त है और सारा देश आगे बढ़ता है।

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वयतता से होता है। भारत में महिला सशक्तिकरण का प्रारंभिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को में सुधार करना होता है। महिला का किसी भी क्षेत्र में प्रति पूरे घर परिवार समाज एवं राष्ट्र की प्रगति मानी जाती है। महात्मा गाँधी जी कथन है कि—‘‘जब तक भारत की महिलाएँ सार्वजनिक जीवन में हिस्सा नहीं लेंगी, देश विकास नहीं कर सकता।‘‘ १ महिला सशक्तिकरण की अवधारणा मूलत: महिलाओं की कमजोर स्थिति में सुधार के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है। महिलाएँ जो विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, लगभग

सम्पूर्ण विश्व में भेद–भाव, अन्याय एवं असमानता के चक्रव्यूह में सदियों से ग्रसित रही हैं। वर्तमान में महिलाएँ अपनी कमजोर, भेदभाव एवं असमानता के विरुद्ध आवाज उठाने लगी हैं। वर्तमान में यह स्वीकार किया जाने लगा है कि राष्ट्र एवं विश्व का वास्तविक विकास महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अमर्त्य सेन ने इस बात पर जोर दिया है कि आज विश्व के विभिन्न देशों का विकास प्रक्रिया में महिला सशक्तिकरण निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का तात्पर्य उनकी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता एवं सशक्त क्षमता से है। यह तभी संभव है जब महिला अपना श्रम उत्पादक कार्य में प्रयोग करे, चाहे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र हो, अपना उचित पारिश्रमिक हिस्सा समानता से प्राप्त करे। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें जमीन–जायदाद, बैंक खाता, बचत, निवेश में निर्णय लेने सम्पत्ति पर समान अधिकार होना चाहिए। भारतीय समाज में लंबे समय से प्रचलित भेदभाव एवं पुरुषों के वर्चस्व की वजह से महिलाओं का उनके परिवारों एवं यहां तक कि पूरे समाज में दमन का सामना करना पड़ा है। समय–समय पर उन्हें हिंसा एवं परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के भेदभावों का भी सामना करना पड़ता रहा है। दुनिया के कई अन्य देशों में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। कुछ यूरोपीय देशों को छोड़कर दुनिया के ज्यादातर देशों में भारत के समान ही महिलाएँ गंभीर लैंगिक भेदभाव की शिकार हैं। बहुत दूर है मंजिल: ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाओं की स्थिति और भी बुरी है और साथ ही अर्थव्यस्था में उनका योगदान भी नगण्य है। हालांकि वे देश की आबादी का लगभग ५०: है लेकिन उन्हें उनके सपनों को साकार करने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए हैं और इस वजह से उन्हें उनकी क्षमताओं का पूरा प्रदर्शन करने का मौका भी नहीं मिल पाता। इन हालातों में, हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र तब तक नहीं बन सकता जबतक हम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सही मायनों में प्रयास ना करें। महिलाओं को सभी क्षेत्रों में विकास के समान अवसर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

परिवर्तन की ओर: महिलाओं को हर धर्म में एक विशेष दर्जा दिया गया है उसके बावजूद सदियों से समाज में महिलाओं के खिलाफ कई बुरी प्रथाएं प्रचलन में रही हैं। लेकिन अब सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो चुका है और पितृसत्तात्मक प्रणाली धीरे–धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर है। महिलाएं अब खुद के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों, जैसे कि काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निर्णय करने

का अधिकार, आदि की मांग कर रही हैं। विभिन्न सरकारों ने महिलाओं की मदद के लिए कई संवैधानिक और कानूनी अधिकार भी लागू किए हैं, ताकि महिलाएं एक सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकें। अब महिलाओं की अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और इस दिशा में प्रयासरत विभिन्न गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का अभिर्भाव इसका प्रमाण है। व्यक्तिगत स्तर पर भी महिलाएं अब दमन के बंधनों को तोड़ते हुए अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से महिलाओं ने एक नई पहचान बनाई है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह ने समूह की महिलाओं को अन्य महिलाओं के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत करने तथा एक दूसरे की मदद करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विशेष योगदान दिया है। अब तक हुए विभिन्न प्रकार के अध्ययन इस बात को इंगित करते हैं कि समूह बनने के बाद तथा इसकी सदस्य बनने के बाद महिलाओं की सामाजिक पूंजी (कल्चरल कैपिटल) में वृद्धि हुई है अतः प्रस्तुत पेपर स्वंय सहायता समूह बनने के बाद महिलाओं के जीवन में आये परिवर्तनों को समझने का प्रयास करेगा जोकि साक्षात्कार तथा अवलोकन पर आधारित होगा।

इस दिशा में स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जिसमें बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मुहम्मद युनुस का प्रयास उल्लेखनीय रहा है। इन्होंने १९७० से ही लघुवित्त आन्दोलन की शुरुआत की थी जिसके तहत गरीबों, विशेषकर औरतों को बिना किसी शर्त के ऋण देने की व्यवस्था की गयी और आज लघुवित्त आंदोलन विश्व के ७ हजार संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे लगभग १ करोड़ ६ लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। (श्रीवास्तव, २००८) वास्तव में स्वयं सहायता समूह गाँव के व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो अपनी इच्छा से संगठित होकर नियमित रूप से थोड़ी—थोड़ी बचत कर सामूहिक निधि में जमा करते हैं तथा जिसका उपयोग सदस्यों की आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार समूह के सदस्य हफ्ते अथवा महीने में एक बार बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा कर एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करते हैं, जिससे ये महिलायें गरीबी, बेरोजगारी तथा निरक्षरता के चक्रव्यूह से निकलकर सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही है और न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक एवं राजनैतिक आयामों पर भी सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हैं।

४ वर्ष २००१ को महिला सशक्तिरण वर्ष घोषित कर देश की आधी आबादी को सम्मानित करने का यथोचित प्रयास किया था। महिला सशक्तिकरण समृद्ध महिला समाज में जनसंख्या नियंत्रण तथा देश की ५० प्रतिशत आबादी को साक्षर बनाकर शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने जैसी कई योजनाएं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये संभव प्रतीत होती है। अत: इसी के मद्देनजर महिलाओं की आवाज को लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में प्रतिष्ठित करने हेतु महिलाओं के लिये संसद एवं विधानमण्डल में ३३ प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद ३३० में प्रस्तावित ८४वें संविधान संशोधन के जरिये लोकसभा राजनीति के उच्च स्तरों पहुंचने के लिये एक तिहाई आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु भी प्रयास किये गये थे। केवल इसलिए क्योंकि वर्तमान समय में संसद में सभी दलों की महिलाएं किसी भी मुद्दे पर एक जुट होकर सामने आ रही है, और उनका विरोध कर पाना मुश्किल है। दूसरी ओर सामाजिक स्तर पर सक्रिय महिलाओं ने राजनीतिक दलों को इस बात का आभास कराया है कि उनका भी अपना एक वोट बैंक है। जिसकी वजह से महिलाओं के हित में सोचना सभी राजनीतिक दलों के लिये ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन इस संबंध में बार—बार अडचने डाली गई जिससे महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक सोच का प्रावधान जरूरी हो गया है। महिला सशक्तिकरण की यह अवधारणा मनोवैज्ञानिक तौर पर जरूर आर्कषक लगती है लेकिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति सुधारने के लिये महिला आरक्षण विधेयक नितांत आवश्यक है, हालांकि विधेयक में महिला सशक्तिकरण से संबंधित तमाम मुद्दों को शामिल किया गया है लेकिन राजनेताओं द्वारा केवल महिलाओं के संसद एवं विधानसभाओं में सीटों अमब ंइ आरक्षण के अलावा कई प्राथमिक समस्याएं हैं जिसका निदान किया जाना अभी बाकी है, इस आरक्षण से नगरीय एवं शिक्षित महिलाओं को लाभ मिल रहा है वह ग्रामीण एवं अशिक्षित महिलाओं को ही नहीं सभी को मात्र मनोवैज्ञानिक सुख हैं तथा इससे महिला समुदाय की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन की वृद्धि हो रही है। महिला समुदाय को प्रजातांत्रिक संस्थानों के साथ—साथ शासकीय नौकरियों में तो ३३ प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त है। यदि वास्तव में देखा जाये तो महिला को लेकर सिर्फ महिलाओं के नाम पर उसी प्रकार राजनीति हो रही है जैसा कि मुस्लिम वोटों के लिये होती थी। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिये केवल आरक्षण यही समस्याओं का संपूर्ण समाधान नहीं है जिसके सहारे अपने व्यक्तित्व का स्वेच्छा से स्वतंत्रता का निर्माण कर सके। लेकिन राजनेताओं द्वारा केवल महिलाओं को संसद एवं विधानसभाओं में सीटों के अलावा कई प्राथमिक समस्याएं है

जिनकी और राजनेताओं का ध्यान आसानी से नहीं जाता है। जैसे दहेज उत्पीडन, कम आयु में विवाह तथा घर के मामलों में महिलाओं के फैसलों को तबज्जों न देना आम बात है। वास्तव में देखा जाये तो महिला आरक्षण विधेयक उन्हीं महिलाओं को सशक्त करने की पैरवी करता है जो महिला पहले से ही सशक्त है। क्योंकि राजनीतिक के गलियों में घूमती महिलाओं को संसद में विराजमान करना महिला सशक्तिकरण नहीं है। आम महिला आज भी वैसी ही समस्याओं से जूझती दिखाई दे रही है जैसे पहले की स्थिति में थी। वैसे भी संसद में पहुंची महिलाएं आम महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने में किस हद तक सफल रही है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न स्वयं प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी एक लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद भी महिलाओं की संपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रही। महिला सशक्तिकरण के लिये विधेयक से ज्यादा जरूरी है समाज के नजरियों में परिवर्तन की। लेकिन जब तक कि पुरूषों के स्वार्थ या अहम सामने नहीं आते। इनके सामने आते ही पुरुष नारी को उत्पीड़ित करने या अभद्र व्यवहार करने से पीछे नहीं हट सकता। यह काम सिर्फ शिक्षित और ग्रामीण समाज में ही नहीं होता बल्कि शिक्षित सभ्य समाज में भी दिखाई देता है। क्योंकि पुरूष तो वही है न जो महिला को कभी अपने से ऊपर देखना नहीं चाहता बल्कि उसके ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता है। कई पुरुष महिला अधिकारी के अंतर्गत आने वाले पुरुष कर्मचारी महिला के आदेश के अनुरूप काम करना पसंद नहीं करते बल्कि उसे अपनी इच्छानुसार चलाना चाहते हैं।

महिला अस्मिता महिला घर परिवार की मान मर्यादा और जिम्मेदारियों से इतनी अधिक जकड़ी हुई होती है कि महिला चाहे कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाये यह अपने चारों ओर लज्जा, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा खींच लेती है। इसे वह आवश्यकतानुसार कार्य करने में असमर्थ हो जाती है। इंदिरा गांधी, किरण बेदी और मेधा पाटकर जैसी सशक्त महिलाएं कम ही होती है लेकिन ऐसा पदी है? सिर्फ अशिक्षित व ग्रामीण महिलाएं ही नहीं बल्कि नागरिक व उच्च शिक्षित महिलाएं भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने के बजाए पुरुषों के संरक्षण में रहना पंसद करती है या यह कहा जाये कि उनका जिस माहौल व विचारों के बीच परवरिश होती है उसके तहत वे पुरूषों को ही अपना संरक्षक मान लेती है जो महिला इस मानसिकता से बाहर निकलकर सोचती है, यह कार्य करती है वह समाज में चर्चा का विषय बन जाती है जब समाज उसकी इस मानसिकता को तोड़ने में असफल होता है तो घर व परिवार के माध्यम से दबाव बनाया जाता है।

परिकल्पना:— समान वेतन का अधिकार— समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। कार्य—स्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून— यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है। केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत वर्किंग प्लेस पर यौन शोषण के शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जांच लंबित रहने तक ९० दिन का पैड लीव दी जाएगी।

कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार— भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह एक महिला को उसके मूल अधिकार 'जीने के अधिकार' का अनुभव करने दें। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक लिंग चयन पर रोक अधिनियम (च्च्छ्छक्ज) कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।

संपत्ति पर अधिकार— हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक है।

गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार— किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।

महिला सशक्तीकरण— महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने और अपने देश के बारे में सोचने की क्षमता का विकास होना ही महिला सशक्तीकरण कहलाता है

निष्कर्ष:—

निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के विरुद्ध बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा जो समाज की पितृसत्तामक और पुरुष युक्त व्यवस्था है। यह बहुत आवश्यक है कि हम महिलाओं के विरुद्ध अपनी पुरानी सोच को बदलें और संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाए। भले ही आज के समाज में कई भारतीय महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन चुकी हो, लेकिन फिर भी काफी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। उन्हें शिक्षा, और आजादीपूर्वक कार्य

करने, सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित कार्य और सामाजिक आजादी में अभी भी और सहयोग की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण का यह कार्य काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की सामाजिक—आर्थिक प्रगति उसके महिलाओं के सामाजिक—आर्थिक प्रगति पर ही निर्भर करती है। आज की नारी अब जाग्रत और सक्रीय हो चुकी है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है ‘‘नारी जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियों एवं कड़ियों को तोड़ने लगेगी, तो विश्व की कोई शक्ति उसे नहीं रोक पाएगी।‘‘ वर्तमान में नारी ने रुढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया है। यह एक सुखद संकेत है। लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।

संदर्भ—

1. अग्रवाल, आर.सी. २००६, उद्यमिता, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्टीब्यूटर्स नई दिल्ली पृ.सं.२४९—२५९।
2. कुमार नीरज, कुरूक्षेत्र, मार्च २००७, अंक ५, महिलासशक्तिकरण की कुछ कोशिशें, पृ.सं.—१०।
3. मथुर, एस.पी., २०१०, भारत में उद्यमिता विकास, हिमाल्या पब्लिशिंग हाउस मुरादाबाद, पृ.सं.८९—१००।
4. प्रो. विशिष्ट सरिता, महिलासशक्तिकरण, कल्पना प्रकाशन नईदिल्ली, पृ.सं.—३०।